संख्या- /2016/ /पॉच-6-16-96(जी0)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रदेश के 02 ट्रामा सेन्टरों को क्रियाशील करने के लिये उपकरणों के क्रय की रू0-9,27,08,800.00 की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (चिकित्सा उपचार) के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव-ट्रामा सेन्टर/2016/5030 दिनांक 28.09.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपद सीतापुर व हाथरस में निर्माणाधीन 02 ट्रामा सेन्टरों को क्रियाशील करने के लिये संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रति ट्रामा सेन्टर रू0-4,63,54,400.00 की दर से कुल रू0-9,27,08,800.00 (रूपया नौ करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-809/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पॉच-1-2014-5(100)/13 दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ–साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त चिकित्सालय हेतु स्वीकृत किये जा रहे उपकरणों में से रू0-2.00 लाख से अधिक मूल्य के प्रति उपकरणों का क्रय निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के स्तर पर क्रय किया जाना तथा रू0-2.00 लाख या उससे कम मूल्य के प्रति उपकरणों का क्रय संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा टर्न-की के आधार पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा ।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत् निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर

http://shasanadesh.up.nic.in

चुके है। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में दी गयी शर्तो/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

(8) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(9) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

(10) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(11) उपकरणोंं/साज-सज्जा सामग्री हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(12) विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण/साज-सज्जा प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार है।

(13) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(16) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अत: इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।

(18) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(21) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(22) संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 378 /2016/ 3130 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3 वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4 संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
5 निदेशक (नियोजन/बजट)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6 अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7 अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
8. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
10. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14. विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 378 /2016/330 /पॉच-6-16-96(जी0)/16 तदविषयक 30 दिसम्बर, 2016 का संलग्न

		Equipment	Particular		
S.N.		Infrastructure	Quantity	Total Rate with Vat	
1	1	ICU Beds	10	34200.00	68400
2	2	General Trauma Beds	10	34200.00	68400
3	3	Operation Theatres (आवश्यकतानुसार)	2	1140000.00	2280000
	II.	**EQUIPMENT: SPECIALITY WISE**			
	A	**RADIOLOGY EQUIPMENTS-**			
4	1	500 mA X-ray Machine	2	741000.00	1482000
5	2	3 D Ultrasonography-Trolley based	2	1710000.00	3420000
6	3	CT Scan	2	34400000	68800000
7	4	Portable USG	2	114000	228000
	B.	**ANAESTHESIA EQUIPMENTS-**			
8	1	O.T. Table-3 segments, translucent top with Orthopaedic attachment	4	456000	912000
9	2	Cautery Machine- Mono & Bi Polar	4	114000	228000
10	3	O.T. ceiling light- shadow less	4	228000	456000
11	4	Suction Machine	8	17100	34200
12	5	Anaesthesia Machine with Monitor Parameters: Agent monitoring, NIBP, SPO2, ET CO2, ECG, Temp., IBP	4	570000	1140000
13	.6	Ventilator with high end with compressor	10	1710000	3420000
14	7	Transport Ventilator	2	1710000	3420000
15	8	ABG Machine (Hand Held Analyzer)	2	600000	1200000
16	9	Defibrillator with Monitor -NIBP -ECG -SPO2 -WITH AFD	10	570000	1140000
17	10	Monitor -Large screen -With ECE, SPO2, NIBP, ETCO2	10	171000	342000
18	11	Syringe infusion pump	2	102600	205200
	C.	**ORTHOPAEDIC EQUIPMENTS**			
19	1	Power srill and Power saw	2	285000	570000
20	2	Pneumatic tourniquet	4	171000	342000
21	3	Splints and traction	2	342000	684000
22	4	General Orthopaedic instrument- 2 sets	2	171000	342000
	D.	**OPERATION THEATRE EQUIPMENTS**			
23	1	General surgical instruments (2 sets)	4	171000	342000
24	2	Humidity Control Meter	2	17100	34200
	E.	**OTHER FACILITIES**			
25	1	Electricity Back- UP	2	456000	912000
26	2	5 bedded step down/recovery unit with 3 monitors (4 channels)	10	285000	570000
27	3	ICU beds	10	34200	68400
				योग-	**92708800**

(रूपया नौ करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार आठ सौ मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पांच-6-16-55(नि0)/16टी.सी.

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, जैतपुर, महोबा के भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10350/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 21.10.16 व शासनादेश संख्या-2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 10.10.14 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, जैतपुर, महोबा के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-374.14 लाख की मूल स्वीकृति मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत की गयी। तदोपरान्त उक्त सामु0स्वा0केन्द्र के भवन निर्माण के लिये विस्तृत आगणन को पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-495.41 लाख मूल्यांकित किया गया।

2- अतएव आपकी उक्त संस्तुति व पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त मूल्यांकित लागत के आधार पर सामु0स्वा0केन्द्र, जैतपुर, महोबा के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-495.41 लाख (रूपया चार करोड़ पन्चानबे लाख इक्तालिस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं रू0-395.41 लाख (रूपया तीन करोड़ पन्चानबे लाख इक्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्य मदें जिनकी कार्य दरें लोक निर्माण की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं है, की लागत आकलन बाजार दरों पर किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(13) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

(15) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(16) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामु0स्वा0केन्द्र-03 नये सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 379 2016/ 2758 (1)/पॉच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, महोबा ।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा ।

5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

8- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, महोबा ।

9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-31(नि0)/16

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः- जनपद लखनऊ के आलमबाग में चन्दरनगर स्थित सिविल डिस्पेन्सरी के पुराने भवन के ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5883/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 05.01.2016 व अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-9816/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 05.09.2016 तथा शासनादेश संख्या-51/पॉच-6-16-31(नि0)/16, दिनांक 05.07.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के कालम-2 के अनुसार 50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, चन्दरनगर, आलमबाग लखनऊ के भवन निर्माण के लिये संलग्न तालिका के कालम-3 में उल्लिखित विवरणानुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन सिविल डिस्पेन्सरी, चन्दरनगर आलमबाग लखनऊ के निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) विभाग द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 व लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली-1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त के साथ ही संलग्न तालिका के कालम-4 के अनुसार विवरणानुसार पुराने, निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त तालिका के कालम-5 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 01.67 लाख (रूपया एक लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा बट्टे खाते में डाले

जाने योग्य उक्त अनुमानित धनराशि को ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलबे के निस्तारण से प्राप्त वास्तविक धनराशि का अपने स्तर से समायोजन कर लिया जायेगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-377 /2016/2203 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-5/ गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
9. विभागीय वेब मास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 377/2016/2203 / पांच-6-2016-31(नि0)/16 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रायोजना का नाम	प्रायोजना के निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवन (निर्माण वर्ष)	ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित भवनों के विवरण (रूपया लाख में)	बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि (रूपया लाख में)
1	2	3	4	5
1	50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, चन्दरनगर, आलमबाग, लखनऊ	सिविल डिस्पेन्सरी चन्दरनगर आलमबाग लखनऊ (1970)	पुस्तांकित मूल्य- 1.81 स्क्रैप मूल्य - 1.67 ध्वस्तीकरण की लागत- 01.53	01.67

(रूपया एक लाख सड़सठ हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।